



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं: 1910 - मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/2012-48-मा०सं०प्र०-०२/2001

दिनांक : 23 अगस्त, 2012

फैक्स (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर- 1/ 11).

अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झौसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।

(2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों
जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जाने वाले हैं को महंगाई भत्ते का भुगतान
दिनांक 01.01.2012 से लागू बढ़ी हुई दर पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं: वे०आ०-१-६९८/दस-२०१२-४२(एम) / २००८; दिनांक 19.07.2012 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या 120-मा०सं०प्र०-(02)/उ०नि०लि०/२०१२-४८-मा०सं०प्र०-(02)/२००१, दिनांक 25.01.2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे उत्पादन निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तिथि जब से देय है
01 जनवरी, 2012

महंगाई भत्ते की मासिक दर¹
मूल वेतन का 65 प्रतिशत

इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/भत्ता, सीमान्त भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*Yamini Kumar
23/8/12*

क्रमांक: 2/-

- 3- निगमादेश सं0: 53/मा०सं0(04)/उनिलि/2009-17-मा०सं0(04)/2003, दिनांक 08.01.2010 मेरे निहित प्राविधानार्तगत चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत प्रेक्षिट्स बंदी भत्ता की धनराशि को महंगाई भत्ता के आगणन मेरे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
- 5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- 6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये मेरे पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते के दिनांक 01 जनवरी, 2012 एवं अग्रेतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-
- I- दिनांक 01 जनवरी, 2012 से दिनांक 31 जुलाई, 2012 तक की महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते मेरे अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते मेरे दिनांक 01 अगस्त, 2012 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते मेरे जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जुलाई, 2013 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते मेरे जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमेरे सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।
- II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप मेरे दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।
- III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर-1 मेरे उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2012 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
- IV- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2012 से (माह अगस्त, 2012 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2012 को देय) नकद किया जायेगा।

Moving Kumar
23/8/12

क्रमांक: 3/-

- 8— निगम के आदेश सं० सचिव/उनिलि/सी०पी०एफ०ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़े हुये महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रॉब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी०पी०एफ० खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी०पी०एफ० मद में दी जायेगी।
- 9— उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

Manjeet Kumar
(मनोज कुमार सक्सना)
अधीक्षण अभियन्ता(मा०स०-०२)

सं०: 1910 -(1)-मा०स०प्र०-०२/उनिलि/2012, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।।
- (2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता, (मा०स०) / (मा०स०-०२/०३) / (कारपोरेट स्ट्रेटजी) / (ईंधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (5) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा) / चिकित्सा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (6) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (7) अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, मा०स०-०१/०२/०३/०४/०५/०६/रिफार्म/टाण्डा बाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (8) अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं०: 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
- (9) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (10) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (11) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(व० एवं ल०)/ (पेंशन) / अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (12) कट फाइल।

आज्ञा से,

Manjeet Kumar
(मनोज कुमार सक्सना)
अधीक्षण अभियन्ता(मा०स०-०२)